बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :- 6103489 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 18/08/2026

ग्रा॰वि॰-R-504/05/2026-Section-14-RDD-RDD(COM No-559111)

श्री राकेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर प्रखंड, जिला- गया सम्प्रति-निलंबित को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक-09.02.2026 को परिवादीनी श्रीमती सुचिता रंजनी, पति- श्री चन्द्रभूषण कुमार, सा॰-गन्नु विगहा, पंचायत-रसलपुर, थाना-चाकन्द, जिला-गया वर्तमान प्रखंड प्रमुख, नगर प्रखंड, गया से 50,000/- (पचास हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया । रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 016/2026 दिनांक- 09.02.2026 दर्ज होने की सूचना जिला पदाधिकारी, गया के ज्ञापांक-39 दिनांक-13.02.2026 द्वारा दी गयी।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-5224813 दिनांक-19.02.2026 द्वारा श्री राकेश कुमार को कारा निरोध की तिथि 09.02.2026 से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया।

3. श्री राकेश कुमार द्वारा दिनांक-10.07.2026 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक-14.07.2026 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया ।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या-................ दिनांक-............. द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में श्री राकेश कुमार को निलम्बन से मुक्त किया गया ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रविवेदित मामला रिश्वत/भ्रष्टाचार से संबंधित है। अतएव श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए पुनः निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्री राकेश कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

6. निलंबन अवधि में श्री राकेश कुमार का मुख्यालय- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडलीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है ।

7. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18/08/2026

(नलिन प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

कार्या०परि० वही

ज्ञापांक :- 6103489 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 18/08/2026

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में सी.डी. सहित) को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग) विभाग; बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/08/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 6/03489 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 18/08/2026

स्पीड पोस्ट/ ईमेल/ कार्या०परि० वही

प्रतिलिपि:- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल कार्यालय, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, गया/ पुलिस अधीक्षक, गया/ उप विकास आयुक्त, गया/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, गया/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु)/ श्री राकेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर प्रखंड, जिला- गया सम्प्रति-निलंबित पता:- पिता-स्व० भोजला प्रसाद चौधरी, द्वारा श्री महेन्द्र प्रसाद मंडल, (शिक्षक), मिरजान हाट, जिला-भागलपुर, पिनकोड-8122005 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/08/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी ।